संख्या:34/2025/1230ई-2/तेरह-2025-498830

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 19 नवम्बर, 2025

विषयः-मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि., बरेली, आसवनी इकाई की अधिष्ठापित क्षमता 469 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 303.1 लाख लीटर वार्षिक तथा औद्योगिक क्षमता 165.9 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-60/दो-प्रा.डी.-03/सुपीरियर आसवनी, बरेली, दिनांक 27-10-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व हित व रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जनपद बरेली, आसवनी इकाई में स्थापित ग्रेन प्लान्ट नम्बर-2 की निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता 60 के.एल.पी.डी. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार 210 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत 33.3 प्रतिशत अर्थात 70 लाख लीटर पेय तथा 67.7 प्रतिशत अर्थात 140 लाख लीटर औद्योगिक क्षमता निर्धारित करते हुए आसवनी की कुल अधिष्ठापित क्षमता 469 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत पेय क्षमता 303.1 लाख लीटर (64.63 प्रतिशत) तथा औद्योगिक क्षमता 165.9 लाख लीटर (35.37 प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) इकाई द्वारा शासनादेश संख्या:07/2023/520ई-2/तेरह-2023-498830, दिनांक 09.03.2023 द्वारा में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(2) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या:33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इकाई द्वारा अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु प्रयुक्त फीड एवं उत्पादित अल्कोहल के अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी शासनादेश संख्या:1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09.12.2024 का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 31.12.2024, पत्र दिनांक 01.12.2022 तथा पत्र दिनांक 06.07.2024 में उल्लिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा।

(5) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(6) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(7) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(8) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(10) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(11) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों /नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(12) इकाई द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) आसवक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी फीड स्टॉक आसवनी द्वारा प्रयुक्त किया जाये, उसकी रिकवरी वैज्ञानिक रूप से सत्यापित हो व समय-समय पर इसका परीक्षण भी कराया जाना आवश्यक होगा।

(14) आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति निर्गत किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी मालिक द्वारा स्वयं के अधीन किसी भी इकाई में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी सुविधा का दुरूपयोग न किया गया हो।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।